न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 83/2019 निर्णय दिनांक :– 18-9-19

उनवान

1. रामकरण
2. सीताराम
3. रामनाथ पुत्रान् रामचन्द्र
4. रूकमा बेवा रामचन्द्र मीना
5. छोटी पुत्री रामचन्द्र मीना

6 फोरन्ती पत्नि स्व. कैलाश मीना

7. कविता पुत्री स्व. कैलाश मीना ना.बा. जरिये सरंक्षक माता फोरन्ती मीना समस्त निवासी– बास भगवतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर

.....अपीलॉन्टस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर
2. रामचन्द्र पुत्र काना जाति मीना, निवासी– बास भगवतपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर
3. ग्राम पंचायत रूपाहेडी कलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रूपाहेडी कलां, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर

.....रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\RAMKARAN VS SARKAR.docx

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 05.03.19 आदेश ग्राम

पंचायत रूपाहेडी कलां

अपीलान्टस की ओर से अपील पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हुआ कि :–

संक्षिप्त तथ्य अपील निम्न प्रकार है अपीलान्टस की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खाता सं. 19 में खसरा नंबर 98 रकबा 0. 05 है0, खसरा नंबर 100 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 103 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 141 रकबा 0.09 है0, कुल किता 04 कुल रकबा 0.32 है0 एवं खाता सं. 20 में खसरा नंबर 77 रकबा 0.63 है0, खसरा नंबर 93 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 94 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 137 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 138 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 165 /393 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 166 रकबा 0.21 है, खसंरा नंबर 176 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 177 रकबा 0.21 है0, कुल किता 09 कुल रकबा 1.01 है0 एवं खाता सं. 22 में खसरा नंबर 187 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 235 रकबा 0. 29 है0, खसरा नंबर 236 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 237 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 238 रकबा 0.30 है0 कुल किता 05 कूल रकबा 1.93 है0 भूमि वाके ग्राम [illegible]रा, तहसील कोटखांवदा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्टस सं. 01 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested

जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने रूपयो पैसो की व्यवस्था कर अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश कर दी है। प्रार्थगण को दिनांक 05.03.2019 से दिनांक 07.08.2019 तक ही हुई देरी को कन्डोन कर अपील स्वीकार करने की कृपा करें। दफा 05 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने हुये देरी को न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट को गुणावगुण निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपील अपीलांट व दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि सहवन से पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 162 खाता संख्या 19, 20, 22 वाके ग्राम भगवतपुरा में न कर दूसरे खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 370, 371 किता 2 रकबा 3.03 है0 मेंकर दिया गया है, उक्त गलती सहवन से दोनो खातो में समान खातेदार समान वल्दियत होने के कारण हुयी है जो दुरूस्ती योग्य है। पेरा नम्बर 2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है बिन्दु संख्या 3 से 8 न्यायालय से सम्बन्धित है। सरकार जवाब पेश होने पर बहस वकील अपीलांट की सुनी गयी तो दौराने बहस अपीलांट का समर्थन करते हुये जवाब सरकार अनुसार दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये देरी को कन्डोन कर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अपीलांट वकील ने अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 162, जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 8 ग्राम भगवतपुरा, खाता संख्या 22,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

मृत्यू प्रमाण पत्र रामचंद्र पुत्र कानाराम, पंचायत वारिस प्रमाण पत्र के बतौर सबूत पेश किये। अपीलान्ट वकील की बहस पर गौर किया व अपील जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18, 20, 22 की भूमि वाके ग्राम भगवतपुरा तहसील कोटखावदा में स्थित है जिसकी खातेदारी अपीलांट नम्बर 1 से 3 के पिता 4 के पति 5 के पिता 6 के ससूर व 7 के दादा रामचंद्र का पुत्र काना मीना के नाम थी। रामचंद्र पुत्र काना मीना निवासी भगवतपुरा का स्वर्गवास 31.12.2018 को हो गया, जिसके जायन्दा वारिसान अपीलांट है, इनके अलावा और कोई वारिस नही है। किन्तु सहवन से नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 05.03.2019 को बिना जांच किये रेस्पोडेंट संख्या 2 की भूमि खाता संख्या 8 खसरा नम्बर 370 रकबा 1.66 है0 371 रकबा 1.37 है, किता 2 रकबा 3.03 है0 भूमि ग्राम भगवतपुरा का सहवन से खौल दिया व खाता संख्या 8 में नोट लगा दिया जबकि रेस्पोडेंट नम्बर 2 रामचंद्र पुत्र कानाराम मीना वर्तमान में जिन्दा है। उक्त समस्त कार्यवाही एक ही नाम के दो व्यक्ति होने व पिता का नाम भी एक ही होने के कारण सदभावी गलती है। क्योंकि उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना वारिस प्रमाण पत्र की जांच किये बिना व बिना रिकार्ड का मिलान किये बिना खुल दिया गया। जो नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 05.03.19 को खारिज किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 162 निर्णय दिनांक 05.03.2019 को खारिज किया जाता है व अपील अपीलांट तहसीलदार कोटखावदा को रिमाण्ड की जाती है कि विरासत की एवं रिकार्ड की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जोने की कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:30 IST
Reason: SelfAttested